



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं0 पटना 624) पटना, मंगलवार, 16 जून 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

1 जून 2026

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026

सं0सं0-3/भू0 अ0 नि0 (6) विशेष सर्वे (नियमावली)-20/2024-163(8)—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-28(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली “बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2026” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) नियम-15(3) के परन्तुक के अलावा अन्य सभी प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगा।
- (4) नियम-15(3) का परन्तुक पूर्वगामी प्रभाव से उस तिथि से प्रवृत्त माना जाएगा, जिस तिथि से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 प्रवृत्त की गयी है।

2. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-2 का उप-नियम-(1) की कड़िका-XVI के पश्चात निम्नलिखित नए शब्दों की परिभाषा अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(XVII) “प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन” से अभिप्रेत है, विशेष सर्वेक्षण शिविर स्तर पर अंतिम रूप से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख का अधिनियम की धारा-11(1) के अंतर्गत बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर से प्रकाशित अधिकार अभिलेख का प्रकाशन।

(XVIII) “ग्राम अभिलेख” से अभिप्रेत है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 के आलोक में अधिसूचित राजस्व ग्राम में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के प्रक्रमवार कार्यों की संक्षिप्त विवरणी को प्रदर्शित करने वाला अभिलेख।

(XIX) “नगरपालिका अभिलेख” से अभिप्रेत है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 के आलोक में अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के प्रक्रमवार कार्यों की संक्षिप्त विवरणी को प्रदर्शित करने वाला अभिलेख।

(XX) “स्वामी” से अभिप्रेत है, बहुमंजिली इमारतों के मामलों में उस इमारत के अलग-अलग इकाईयों के वैधानिक स्वामित्व धारण करने वाला व्यक्ति।

3. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-4 का उप-नियम-(1) एवं (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4(1)।- भू-खण्डों के सीमा चिन्हों को बताने के प्रयोजनार्थ अपनी भूमि का सीमांकन करते हुए उन्हें निदेशित करने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के अधीन भूमि के भू-स्वामियों/हित रखने वाले व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए “प्रपत्र-1” में तथा नगरपालिका क्षेत्रों के लिए “प्रपत्र-1(क)” में उद्घोषणा प्रकाशित करेगा।

4(2)।-पूर्वगामी नियम-4(1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन उपरान्त बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा बन्दोबस्त पदाधिकारी की अधिकारिता में कार्यरत कोई अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को ग्रामीण/नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के अधीन भूमि, बहुस्वामित्व वाले एकल खेसरो/परिसरों, में प्रवेश करने तथा वैसी भूमि का किसी पद्धति, जैसा वह उचित समझे द्वारा मापी करने की शक्ति होगी तथा सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ किसी पेड़, जंगल, खड़ी फसल, बाधा अथवा अन्य अवरोध को हटाकर जैसा आवश्यक हो, भूमि को साफ करने की शक्ति होगी, तथापि उपर्युक्त कार्रवाई के लिए खर्च के संबंध में कोई दावा या प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकेगा।

4. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-6 का उप-नियम-(1) के पश्चात् उप-नियम-(1क) को अंतःस्थापित तथा उप-नियम-(2), (3), (4), (6), (7) एवं (8) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

6(1क)।- नगरपालिका क्षेत्रों के रैयतो द्वारा नियम-4(1) के अधीन की गई उद्घोषणा के उपरान्त रैयतो द्वारा स्वघोषणा “प्रपत्र-2(क)” में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से समर्पित किया जा सकेगा।

स्वघोषणा की एक प्रति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अपना हस्ताक्षर, तिथि एवं क्रम संख्या अंकित कर उसकी पावती को प्रमाण के रूप में संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

6 (2)।- ग्रामीण एवं नगरपालिका क्षेत्रों में नियम-4(1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा के उपरान्त रैयतों द्वारा किस्तवार का कार्य समाप्त किए जाने के पूर्व तक स्वघोषणा समर्पित किया जा सकेगा।

6 (3)।- भू-स्वामी/रैयत अपने द्वारा धारित भूमि से संबंधित स्वघोषणा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वंशावली विहित “प्रपत्र-3(1)” में तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-3(1)(क)” में, ऑनलाइन अथवा बन्दोबस्त कार्यालय /शिविर कार्यालय अथवा इस कार्य हेतु प्राधिकृत किए गए पदाधिकारी/कर्मियों को उपलब्ध करा सकेगा।

6(4)।- स्वघोषणा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा उप-नियम-(1) एवं 1(क) में प्रावधानित रीति से प्राप्त किया जाएगा तथा इसका मिलान राजस्व से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों से किया जाएगा।

6(6)।- राजस्व अभिलेखों से स्वघोषणा का मिलान, खानापुरी प्रारंभ करने के पूर्व तक की जाएगी।

6(7)।- स्वघोषणा के मिलान के उपरान्त सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी “प्रपत्र-3” एवं “प्रपत्र-3(क)” में सत्यापन प्रमाण पत्र तैयार करेगा।

6(8)।- कोई स्वघोषणा, जिसे सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा किसी विवाद के कारण, मिलान किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, तो उसके मिलान नहीं होने का संक्षिप्त कारण एक पृथक पंजी “प्रपत्र-4” एवं “प्रपत्र-4(क)” में संधारित किया जाएगा।

5. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-7 का उप-नियम-(1) तथा (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

7 (1)।- किसी राजस्व ग्राम/नगरपालिका के किस्तवार का क्रियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से, धरातल मानचित्रण, भू-खण्डों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन तथा स्थल सत्यापन द्वारा किया जाएगा।

7(5)।- राजस्व ग्राम अथवा नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन, मानचित्र प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) कार्य दिवसों से अनाधिक अवधि के भीतर

पूर्ण किया जाएगा तथापि, ग्रामों/नगरपालिका में खेसरा की संख्या अधिक होने पर यह अवधि बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा 90 (नब्बे) कार्य दिवसों तक विस्तारित की जा सकेगी।

6. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-8 का उप-नियम-(1) के पश्चात् उप-नियम-(1'क') निम्नलिखित द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा:-

8(1'क')।- नगरपालिका क्षेत्रों में अवस्थित राजस्व ग्रामों के लिए खानापुरी दल का गठन निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी। खानापुरी दल में सदस्यों की संख्या का निर्धारण आवश्यकतानुसार किया जाएगा:-

- (i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अथवा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पदाधिकारी/कर्मि;
- (ii) नगरपालिका के पदाधिकारी/कर्मि;
- (iii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय अथवा नगरपालिका स्थापना के तकनीकी रूप से दक्ष कर्मि।
- (iv) नगरपालिका क्षेत्र में एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक खानापुरी दल का गठन किया जा सकेगा।

7. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-9 का उप-नियम-(1), (4)(ख), (6), (7), (8), (9) एवं (10) का प्रतिस्थापन तथा नियम-9(3)(ख)(vi) का अंतःस्थापन किया जाएगा:-

9(1)।- किसी राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य आरम्भ करने के पूर्व ग्रामवार गत अधिकार-अभिलेख के आधार पर खतियानी विवरणी तथा खेसरा पंजी क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रपत्र-5" एवं नये "प्रपत्र-6" और नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-5'क'" एवं "प्रपत्र-6'क'" में तैयार किये जाएंगे।

9(3)(ख)(vi)- नगरपालिका क्षेत्रों में किसी एक भू-खण्ड पर अवस्थित बहुमंजिली भवनों के लिए, स्थिति के अनुसार समानुपातिक रूप से विभक्त किए गए भू-खण्डों का वैधानिक दखल अथवा सहमति के अनुरूप समानुपातिक रूप से स्वामित्व का निर्धारण।

9(4)(ख)- खानापुरी प्रक्रम के दौरान स्थल जाँच के समय सम्बन्धित रैयत सूचना के बावजूद प्रश्नगत भूमि/भू-खण्ड (प्लॉट) पर उपस्थित नहीं पाये जाते हैं तो अमीन उक्त रैयत की अनुपस्थिति को याददास्त पंजी में दर्ज करेगा एवं क्रमानुसार आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि उक्त रैयत निर्धारित तिथि के पश्चात् उपस्थित होते हैं तो वैसे रैयत की भूमि का विवरण अमीन अंकित करते हुए तारीख के साथ अपना हस्ताक्षर ग्रामीण क्षेत्रों में याददास्त पंजी "प्रपत्र-3(2)" एवं नगरपालिका क्षेत्रों में याददास्त पंजी "प्रपत्र-3(2)(क)" में दर्ज करेगा।

याददास्त पंजी में वैसे सभी अभिलेख/दस्तावेज/साक्ष्य का उल्लेख किया जाएगा, जिसके आधार पर खानापुरी के समय किसी रैयत विशेष के नाम से जमीन का खाता खोला जाता है।

9(6)।- सत्यापन के उपरान्त, उपलब्ध संदर्भ राजस्व अभिलेखों, स्वघोषणा के सत्यापन प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ वास्तविक क्षेत्रीय सत्यापन के आलोक में खानापुरी दल ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रपत्र-7" एवं नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-7'क'" में रैयतवार अथवा बहुमंजिली इमारतों के मामलों में स्वामीवार खानापुरी पर्चा तैयार करेगा।

9(7)।- "प्रपत्र-7" एवं "प्रपत्र-7'क'" में तैयार किया गया खानापुरी पर्चा, सरकारी भूमि/लोक भूमि से सम्बन्धित पदाधिकारियों सहित भू-धारी/स्वामी को तामील किया जाएगा। भू-धारी/स्वामी को सुविधाजनक स्थान एवं नियत तिथि एवं समय पर खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों से अवगत भी कराया जाएगा।

9(8)।- "प्रपत्र-7" एवं "प्रपत्र-7'क'" में तैयार पर्चा, सम्बन्धित रैयत अथवा उसके निकट सम्बन्धी को तामील किया जाएगा। तथापि, यदि वह पर्चा प्राप्त करने से इन्कार करता है तो उसे घर के सामने वाले दरवाजा/दीवार पर चिपकाकर उसका तामील किया जाएगा। पर्चा तामील करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जहाँ तक सम्भव हो, पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम चौकीदार तथा अन्य स्थानीय निवासियों का हस्ताक्षर तामील-प्रतिवेदन पर प्राप्त करेगा और खानापुरी पर्चा का उचित तामील माना जाएगा। सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराई गई सूचना को भी तामील माना जाएगा।

9(9)।- भू-धारी/स्वामी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में

“प्रपत्र-8” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-8’क” में दावा/आक्षेप दायर किया जा सकेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में “प्रपत्र-9” एवं नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-9’क” में उसके लिए संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में एक रसीद सम्बन्धित व्यक्ति को निर्गत की जाएगी।

9(10)।-

भू-धारी/स्वामी अथवा भूमि में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से, सम्बन्धित शिविर कार्यालय में प्राप्त किया गया दावा/आक्षेप को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए “प्रपत्र-10” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-10’क” में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा।

8. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-10 का उप-नियम-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

10(1)।- सम्बन्धित कानूनगो /राजस्व पदाधिकारी दावों/आक्षेपों के निपटारे के लिए सम्बन्धित पक्षकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में “प्रपत्र-11” एवं नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-11’क” में दावों/आक्षेपों आपत्ति का संक्षिप्त विवरण के अलावे सुनवाई का स्थान, तिथि एवं समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए पृथक-पृथक सूचनाएँ निर्गत करेगा।

9. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-11 का उप-नियम-(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

11(1)।- खानापुरी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, मानचित्र के साथ-साथ खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरुद्ध खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में आदेशों को समाहित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नये “प्रपत्र-12” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-12’क” में खानापुरी अधिकार-अभिलेख का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

10. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-12 का उप-नियम- (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

12(1)।- नियम-11(1) के अधीन तैयार किया गया तथा नियम-11(2) के अधीन सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप लगातार 30 (तीस) दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित रीति से प्रकाशित किया जाएगा:-

- (i) उसे सम्बन्धित बन्दोबस्त शिविर में प्रदर्शित करके;
- (ii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम/नगरपालिका क्षेत्र में किसी सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करके;
- (iii) उसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके;
- (iv) उसे सम्बन्धित अंचल कार्यालय/नगरपालिका कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके।

11. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-13 का उप-नियम-(1), (2), (4), (5) एवं (7) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

13(1)।- नियम-12(1) के अधीन खानापुरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही साथ, सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सम्बन्धित मानचित्र में दर्शाए गए भू-खण्डों की आकृति/रकबा सहित अधिकार-अभिलेख की प्रविष्टियों के विरुद्ध दावा/आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में “प्रपत्र-13” एवं नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-13’क” में एक आम सूचना निर्गत करेगा।

13(2)।- राजस्व ग्राम/नगरपालिका क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर, सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका क्षेत्रों के वार्डों तथा सम्बन्धित विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त के शिविर के सूचना पट्टों पर चिपका कर आम सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

13(4)।- भू-स्वामी/धारी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालय के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाला कोई व्यक्ति मानचित्र सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रविष्टियों के विरुद्ध ग्रामीणों क्षेत्रों में “प्रपत्र-14” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-14’क” में संबंधित विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर में दावा/आक्षेप दायर कर सकेगा।

13(5)।- सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त शिविर में प्राप्त भू-स्वामी /धारी अथवा भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति के दावों /आक्षेपों को ग्रामीण क्षेत्रों में “प्रपत्र-15” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-15’क” में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति को उसके लिए संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में

“प्रपत्र-16” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-16’क” में रसीद निर्गत की जाएगी।

- 13(7) I— सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दावा/आक्षेपों के एक संक्षिप्त विवरण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में “प्रपत्र-17” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-17’क” में सभी सम्बन्धित पक्षकारों को पृथक सूचनाएँ निर्गत करेगा, जिनमें सुनवाई के स्थान, तिथि एवं समय का उल्लेख रहेगा।

12. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-14 का उप-नियम-(2) एवं (4) को प्रतिस्थापित एवं नियम 14(5)(क)(i), 14(5)(क)(ii), 14(5)(क)(iv), 14(5)(क)(v) के अंत में परन्तुक का अंतःस्थापन तथा उप-नियम-(6) को निरसित किया जाएगा:-

- 14(2) I— ग्रामों एवं नगरपालिका की सीमा ग्राम/नगरपालिका के विगत मानचित्र एवं पूर्व के विभिन्न प्रक्रम पर पारित आदेशों से विस्तृत तुलना की जाएगी तथा इस प्रक्रिया को मुकाबला कहा जाएगा। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि प्रारूप अधिकार-अभिलेख में दर्शाये गये भू-खण्डों का रकबा सम्बन्धित मानचित्र में दर्शाए गए रकबा से मेल खाता हो।

- 14(4) I— सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा नया रकबा पारित होने के उपरान्त अमीनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में “प्रपत्र-18” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-18’ख” में नया तेरीज अर्थात् ‘नए अधिकार अभिलेख का सार’ तैयार किया जाएगा। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में “प्रपत्र-19” में तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-19’क” में नयी खेसरा पंजी तैयार की जाएगी।

- 14(5)(क)(i) I— परन्तु, नगरपालिका क्षेत्रों में अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों के लिए विनिश्चित लगान दर तालिका के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र के सम्बन्धित राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत/स्वामी के लिए उसके धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के लिए “प्रपत्र-18’ग” में तैयार करेगा।

- 14(5)(क)(ii) I— परन्तु, नियम-14 के उप-नियम-5(क)(i) के नगरपालिका से सम्बन्धित राजस्व ग्राम के सभी रैयतों/स्वामियों द्वारा धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार बन्दोबस्ती लगान तालिका का तैयार हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किसी प्रविष्टि में हुई चूक अथवा गलती से सम्बन्धित आपत्ति प्राप्त करने के लिए इसका लगान दर तालिका का प्रारूप प्रकाशित करेगा एवं 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर आपत्ति प्राप्त करेगा।

- 14(5)(क)(iv) I— परन्तु, नगरपालिका क्षेत्रों में लगान दर तालिका पर नियम-14 के उप-नियम-5(क)(ii) के तहत प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से समर्पित किये गये सम्बन्धित राजस्व ग्रामों की रैयतवार/स्वामीवार बन्दोबस्ती लगान दर तालिका की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसे सम्पुष्टि एवं स्वीकृति के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- 14(5)(क)(v) I— परन्तु, नगरपालिका क्षेत्रों में राजस्व ग्रामों को रैयतवार/स्वामीवार लगान दर तालिका का बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुधार के साथ अथवा बिना सुधार के स्वीकृत किया जायेगा। लगान दर तालिका के सुधार की स्थिति में इसे सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पास पुनर्विचार के लिए वापस किया जायेगा।

पुनर्विचार के लिए प्राप्त सम्बन्धित पक्षकारों राजस्व ग्राम के रैयतवार/स्वामीवार लगान दर तालिका में संशोधन हेतु संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी सम्बन्धित पक्षकारों को सूचना निर्गत करते हुए सुनवाई की कार्रवाई करेगा एवं एक कार्यवाही संचालित कर अभिलेखबद्ध करेंगे तथा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आदेश पारित कर सम्बन्धित रैयतों/स्वामियों द्वारा धारित भूमि की विवरणी से सम्बन्धित लगान दर तालिका में आवश्यक सुधार कर ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख नये “प्रपत्र-20” तथा नगरपालिका क्षेत्रों में “प्रपत्र-20’क” में

सम्बन्धित रैयत/रैयतों के धारित भूमि/भू-खण्डों से सम्बन्धित सुसंगत स्तम्भ में बन्दोबस्ती लगान की प्रविष्टि करेंगे।

14(6)।— नियम-14 का उप-नियम-(6) को निरसित किया जाएगा।

13. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-15 का उप-नियम-(1), (3) एवं (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित तथा उप-नियम-(4) के पश्चात् उप-नियम-(4)'क' एवं उप-नियम-(7) के पश्चात् उप-नियम-(8) को अंतःस्थापित किया जाएगा:—

15(1)।— नये "प्रपत्र-20" में ग्रामीण क्षेत्रों एवं "प्रपत्र-20'क'" में नगरपालिका क्षेत्रों में प्रारूप अंतिम अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतियाँ सम्बन्धित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन प्रकाशित की जाएंगी।

अंतिम प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के लगातार अवधि के लिए उन्हें निम्नलिखित रीति से आम जनता के निरीक्षण के लिए रखा जाएगा:—

- (i) सम्बन्धित विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त शिविर में उसे प्रदर्शित करके;
- (ii) सम्बन्धित राजस्व ग्राम/नगरपालिका क्षेत्र के सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर उसे प्रदर्शित करके;
- (iii) राजस्व ग्राम/नगरपालिका से सम्बन्धित वार्ड के सूचनापट पर उसे प्रदर्शित करके;
- (iv) सम्बन्धित अंचल कार्यालय/नगरपालिका कार्यालय के सूचनापट/जिला/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/नगर विकास विभाग के संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित करके।

15(3)।— राजस्व ग्रामों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-11(1) के अधीन प्रारूप अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा उसके भाग में हित रखता हो, ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रपत्र-21" तथा नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-21'क'" में सम्बन्धित अधिसूचित पदाधिकारी के समक्ष दावा/आक्षेप दायर कर सकेगा।

परन्तु, सुनवाई करते हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों को यदि समाधान हो जाए कि विलंब के लिए पर्याप्त कारण है तो वह सुनवाई हेतु प्राप्त दावा, आपत्ति को दायर करने में विलंब को क्षांत कर सकेगा।

15(4)।— ग्रामीण/नगरपालिका क्षेत्रों में सम्बन्धित अधिसूचित पदाधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों के दावे/आक्षेपों के निपटारे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रपत्र-22" तथा नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-22'क'" में दावों / आक्षेपों की संक्षिप्त विवरणी अंतर्विष्ट करते हुए सूचनाएं निर्गत करेगा।

15(4)'क'।— "प्रपत्र-22" एवं "प्रपत्र-22'क'" में प्राप्त दावा, आक्षेपों की संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में संबंधित व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रपत्र-23" एवं नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-23'क'" में पावती निर्गत की जाएगी। सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में अधिसूचित के अंतर्गत प्राप्त दावों/आपत्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए "प्रपत्र-24" एवं नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-24'क'" में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा।

15(8)।— ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व ग्रामों में समुचित जाँच-पड़ताल एवं तुलना के बाद नए अधिकार-अभिलेख एवं खेसरा पंजी के आधार पर, अंतिम अधिकार अभिलेख "प्रपत्र-25" में 4 (चार) प्रतियों में तथा नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-25'क'" में 5 (पाँच) प्रतियों में अंतिम अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को "सफाई" कहा जाएगा। ग्रामीण/नगरपालिका क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए अधिकार-अभिलेख की एक प्रति जो "रैयती फर्द" कहलाएगी, संबंधित रैयतों/स्वामियों को उपलब्ध करायी जाएगी। द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु सम्बन्धित अंचल अधिकारी को भेज दी जाएगी।

तृतीय प्रति जो "मालिकी फर्द" कहलाएगी संबंधित जिला के समाहर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। चतुर्थ प्रति परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार की अभिरक्षा में रहेगी। नगरपालिका क्षेत्रों में "प्रपत्र-25'क'" की पांचवी प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।

14. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-15 के पश्चात् नियम-15'क' को अंतः स्थापित किया जाएगा:-

नियम-15'क'।-अपील

- (i) नियम-15(7) के तहत पारित आदेश की अपील की सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा एक या एकाधिक अपर समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को अधिसूचित किया जायेगा।
- (ii) अपीलीय प्राधिकार किसी पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित, अपास्त करने का आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- (iii) नियम-15(7) के तहत पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश पारित होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर सम्बन्धित अपील हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी के न्यायालय में उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकेगा।
- (iv) अपीलीय प्राधिकार को यदि समाधान हो जाय कि विलंब होने के समुचित कारण हैं तो वह अपील दायर होने में हुए विलंब को क्षांत कर सकेगा।
- (v) यदि नियम-15(7) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकार नियम-15(2) के तहत अधिसूचित पदाधिकारी से वाद-अभिलेख की माँग करेगा।
- (vi) अपीलीय प्राधिकार वाद से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को, उन्हें या तो स्वयं अपने या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित दिन, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए निदेशित करते हुए सूचना निर्गत करेगा।
- (vii) उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में, अपीलीय प्राधिकार वाद का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा कर सकता है।
- (viii) नियम-15(3) के तहत पारित किये गये आदेश के विरुद्ध प्राप्त अपील का निष्पादन अपील दायर किये जाने की तिथि से यथा संभव 90 (नब्बे) कार्य दिवस के अन्दर किया जायेगा।
- (ix) अपील के निपटारे के उपरान्त, अपीलीय प्राधिकार वाद अभिलेख बन्दोबस्त पदाधिकारी को अपने आदेश के क्रियान्वयन के लिए वापस कर देगा।
- (x) वाद-अभिलेख प्राप्त होने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी विहित रीति से, शुद्धि पत्र निर्गत करेगा।
- (xi) शुद्धि पत्र के आधार पर वाद-अभिलेख प्राप्त होने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र की प्रविष्टियों में विहित रीति से परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।

15. उक्त नियमावली, 2012 का नियम-21 के पश्चात् निम्नलिखित नियम-21'क' अंतःस्थापित किया जाएगा:-

21'क'।- तकनीकी मार्गदर्शिका की तैयारी-नगरपालिका क्षेत्रों में निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग की सहमति से इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस नियमावली की अधिसूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर तकनीकी मार्गदर्शिका निर्गत करेगा। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अन्य बातों के अतिरिक्त, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा किस्तवार की प्रचलित पद्धतियाँ शामिल रहेंगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में विश्रान्ति के दौरान किए जाने वाले कार्य भी समाविष्ट होंगे। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में, अधिनियम की धारा-14 के अधीन डिजिटल प्रारूप में अधिकार-अभिलेखों एवं राजस्व ग्राम के मानचित्र के संधारण/प्रकाशन तथा इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भी आवश्यक प्रावधान भी किए जायेंगे।

16. उक्त नियमावली, 2012 का प्रपत्र-6, प्रपत्र-12 तथा प्रपत्र-20 को प्रतिस्थापित किया जाएगा।-नियमावली का "प्रपत्र-6" को नये "प्रपत्र-6", "प्रपत्र-12" को नये "प्रपत्र-12" तथा "प्रपत्र-20" को नये "प्रपत्र-20" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

आदेश से,
सीमा त्रिपाठी,
सचिव।

प्रपत्र-1'क'
(देखें नियम-4 का उप नियम-(1))

उद्घोषणा का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....LGD Code-.....वार्ड संख्या-.....

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....के सभी

भू-धारियों /लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू-खंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भू-खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू-खण्डों की पैमाइश/जाँच-पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भू-खंडों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर लें।

तिथि:-

बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-2'क'

(देखें नियम-6 उप नियम-(1क))

रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व-घोषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....LGD Code-.....वार्ड संख्या-.....

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

रैयत का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	पत्राचार का पता	लिंग			रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौर				
				पुरुष	महिला	अन्य		सर्वे/ म्यूनिसिपल खाता	सर्वे/ म्यूनिसिपल खेसरा	भू खंड का रकबा		
										ए०	डी०	वर्ग मी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौर									जमाबंदी सं०	भूमि पर दावा का आधार यथा—उत्तराधिकार/दान क्रय/बंदोबस्त/अन्य	अभ्युक्ति अगर कोई हो।	
भवन का नाम	तल सं०	फ्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पाकिंग/गैराज का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 17+18)			भूमि पर मालिकाना हक प्राप्ति का आधार				भूमि पर मालिकाना हक प्राप्ति का वर्ष
					ए०	डी०	वर्ग मी०					
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व-घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/हमारी जानकारी में सही है। स्व-घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जबाबदेह हूँ/हैं।

नोट:-इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मि द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

स्थान:-

तिथि:-

रैयत का हस्ताक्षर/अगुंठे का निशान

मोबाईल नं० एवं आधार सं०

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

[illegible][illegible]

भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पायी गयी										अभ्युक्ति अगर कोई हो।
भवन का नाम	तल संख्या	प्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग/ गैराज का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 34+35)			मालिकाना हक प्राप्ति का आधार	मालिकाना हक प्राप्ति का वर्ष	
					ए०	डी०	वर्ग मी०			
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

अमीन का डिजिटल
हस्ताक्षर

कानूनगो का डिजिटल
हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का
डिजिटल हस्ताक्षर

प्रपत्र-3(1)(क)
वंशावली
अधिनियम की धारा-6(3)

सेवा में,

शिविर प्रभारी

अंचल.....

वार्ड—.....

नगरपालिका—.....

जिला.....

विषय:— स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं/हमलोग

(i) श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

(ii) श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

(iii) श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

पुत्री (यों), पत्नी.....निवासी.....ग्राम.....थाना.....

वार्ड संख्या.....नगरपालिका.....अंचल.....जिला.....

जाति(बड़े अक्षरों में).....ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र-II में

अंकित है स्व.....पिता.....ग्राम.....जो राजस्व ग्राम.....

अंचल.....के जमाबंदी पंजी क्रमांक संख्या.....में प्रविष्ट थे, की...../खतियान में

अंकित खाता संख्या.....खेसरा संख्या.....रकबा.....लगान (रु० में).....को

उत्तराधिकार/ बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है।

मैं/हमलोगों खतियान/रजिस्टर-II के अनुसार नीचे उल्लिखित निम्न वंशावली/वंशवृक्ष के आधार पर उत्तराधिकारी के रूप में हित आर्जित किया हूँ/हैं।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हैं कि नीचे संलग्न खतियान/रजिस्टर-II के अनुसार वंशवृक्ष के आधार पर विचाराधीन उपर्युक्त भूमि पर हमारा/हमारी हित-प्राप्ति हुई है, जो हमारा/हमारी शांतिपूर्ण कब्जे में है और किसी भी विवाद/स्वामित्व-मुकदमें से मुक्त है। मेरे/हमारा खतियान/जमाबंदी पंजी निम्नानुसार है।

अतः मैं/हम सर्वेक्षण कार्य के माध्यम से तैयार किये जा रहे “आर०ओ०आर०” (अधिकार अभिलेख) में विचाराधीन भूमि के लिए फार्म-III में वर्णित वंश वृक्ष के आधार पर प्लॉट के विवरण के साथ मेरे/हमारे नाम पर खाता खोलने का अनुरोध करता/करती हूँ।

अनुलग्नक:—

याचिकाकर्ता/(ओ) का वंशवृक्ष

टेबल पार पृष्ठ पर संधारित है।

विश्वासभाजन

**याचिकाकर्ता (ओं) का
हस्ताक्षर**

वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है:—
(खतियान/रजिस्टर-II के अनुसार)

रैयत का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा				जमाबंदी संख्या
			सर्वे / म्यूनिसिपल खाता	खेसरा	रकबा (ए०/डी०/वर्ग मी०)	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8

मैं/हमलोग एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि भूमि पर हमारा शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है तथा यह किसी भी विवाद/स्वत्ववाद से मुक्त है। अतः मैं/हम सर्वेक्षण प्रक्रिया द्वारा तैयार किये जा रहें "आर०ओ०आर०" (अधिकार-अभिलेख) में विचाराधीन भूमि के लिए प्रपत्र-3 में वर्णित वंश वृक्ष के आधार पर भू-खण्ड विवरणी सहित मेरे/हमारे नाम से खाता खोलने का अनुरोध करते हैं।

विश्वासभाजन

याचिकाकर्ता(ओं) का
हस्ताक्षर
एवं पूरा पता

अनुलग्नक:—

1. मृत जमाबंदीदार की मृत्यु की तिथि/वर्ष;
2. जमाबंदी संख्या/मालगुजारी रसीद सं०/वर्ष का विवरण;
3. खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो);
4. दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी;
5. अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति;
6. मृत रैयत/आवेदक के उत्तराधिकारी की स्थापना के लिए वैध दस्तावेज;
7. आवेदनकर्ता(ओं) के आधार पर कार्ड की छायाप्रति;
8. आवेदनकर्ता(ओं) के वोटर कार्ड की छायाप्रति।

याददाश्त पंजी

अमीन द्वारा संधारित किया जाने वाला याददाश्त पंजी

शिविर कार्यालय का नाम—, राजस्व ग्राम—, वार्ड नं०—

थाना सं०—....., LGD Code..... जिला—..... अमीन का नाम एवं पंजीयन सं०—.....

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

प्रपत्र-4 'क'

(देखें नियम-6 का उप नियम-(8))

गैर-सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....LGD Code-.....वार्ड संख्या-.....

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

रैयत का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	पत्राचार का पता	लिंग			रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	रैयत द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा-पत्र की क्रम संख्या	भूमि का ब्यौरा				
				पुरुष	महिला	अन्य			सर्वे / म्यूनिसिपल खाता सं०	सर्वे / म्यूनिसिपल खेसरा सं०	भू-खंड का रकबा		
											ए०	डी०	वर्ग मी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

भूमि का ब्यौरा									भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं० (अगर हो तो)	सत्यापन नहीं किए जाने का संक्षिप्त कारण	अभ्युक्ति
चौहद्दी	भवन का नाम	तल सं०	पलैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पाकिङ्ग / गैराज का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 19+20)						
						ए०	डी०	वर्ग मी०				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

 अमीन का डिजिटल
हस्ताक्षर

 कानूनगो का डिजिटल
हस्ताक्षर

 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का
डिजिटल हस्ताक्षर

प्रपत्र-5 'क'
(देखे नियम-9 का उप नियम-(1)
खतियानी विवरणी

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....LGD Code-.....वार्ड संख्या-.....

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

क्र० सं०	रैयत/ओं का नाम पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	खतियान या अधिकार-अभिलेख का क्रम संख्या (सर्वे/म्यूनिसिपल खाता संख्या)	(सर्वे/म्यूनिसिपल) खेसरा संख्या	चौहद्दी (वैकल्पिक)	आवासीय/गैर आवासीय	रकबा			लगान (सेस को छोड़कर)	अभ्युक्ति
						ए०	डी०	वर्ग मी०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अमीन का डिजिटल
हस्ताक्षर

कानूनगो का डिजिटल
हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का
डिजिटल हस्ताक्षर

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....LGD Code-.....हल्का नं०-.....
अंचल-.....जिला-.....

[illegible]

फसल के अंतर्गत रकबा						शेष छोड़कर लगान	भूमि की वर्तमान प्रकृति					दाखिल खारिज संख्या	भू-अधिभार		अभ्युक्ति
भदई	अगहनी	रबी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		कृषि	परती	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक एवं अन्य		विवरण	दाखिल खारिज संख्या	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

अमीन का डिजिटल
हस्ताक्षर

कानूनगो का डिजिटल
हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का
डिजिटल हस्ताक्षर

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अमीन का डिजिटल हस्ताक्षर

कानूनगो का डिजिटल हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर

[illegible]

शिविर कि प्रभारी का डिजिटल हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-8'क'
(देखें नियम-9 उप नियम-(9))
दावों/आक्षेपों का प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:—
.....
.....
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:—.....
.....
.....
3. विवादित भूमि का ब्यौरा:—
राजस्व ग्राम—..... थाना नं०—.....LGD Code—.....
वार्ड सं०—.....जिला—..... म्युनिसिपल—.....
खेसरा—.....रकबा—.....भवन का नाम.....
प्रोपटी आई०डी०—.....पलैट के समानुपातिक भूमि का
क्षेत्रफल(वर्ग मी०)—..... तल सं०—..... पलैट सं०—.....
कुल निर्मित क्षे०—..... पार्किंग/गैराज का क्षे०—..... रिक्त भूमि
का क्षे०—..... कुल क्षे०—..... ।
4. दावा/आक्षेप का सार:—.....
.....
.....
5. अपेक्षित राहत:—.....

दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ।

प्रपत्र-9'क'
(देखें नियम-9 उप नियम-9)

दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या-.....तिथि-.....

दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम :-.....

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

नोट:- रेखा के नीचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता को दावा/आक्षेप की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में दिया जायेगा।

प्रपत्र-10'क'
(देखें नियम-9 उप नियम-(10)
दावा/आक्षेप पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....LGD Code-.....वार्ड संख्या-.....

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

क्र० सं०	आवेदन दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम पूरा पता सहित	प्रतिवादी का नाम पूरा पता सहित	विवादित भूमि							
				प्रोपर्टी आई०डी०	भवन का नाम एवं तल संख्या	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा			फ्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
								ए०	डी०	वर्ग मी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तल सं०	फ्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग/गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 15+16+17)			निपटारे की तिथि	आदेश का सार तिथि सहित	आदेश के अनुसार सुधार किये जाने की तिथि
					ए०	डी०	वर्ग० मी०			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

कानूनगो का डिजिटल हस्ताक्षर

प्रपत्र-11'क'
(देखें नियम-10 का उप नियम-(1)
सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी ग्राम-.....डाकघर-.....थाना-.....वार्ड सं०-.....
अंचल-..... जिला-.....को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि
दिनांक:.....को दायरदावों/आक्षेपों, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, की सुनवाई
दिनांक:.....को पूर्वाहन/अपराहन (स्थान)..... पर नियत की गयी है।

दावा/आक्षेप का ब्यौरा

वाद संख्या एवं दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता /आक्षेपकर्ता का नाम के साथ-साथ पिता /पति का नाम एवं पता	भूमि का ब्यौरा								
		राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	वार्ड नं०	प्रोपर्टी आई०डी०	म्युनिसिपल खेसरा नं०	रकबा			चौहद्दी
							ए०	डी०	वर्ग मी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भूमि का ब्यौरा										दावों / आपत्तियों का सार
भवन का नाम	प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०	प्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग / गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कैलम 16+17+18)			
							ए०	डी०	वर्ग मी०	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

आपको निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपने दावों/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य, अगर कोई हो, सहित स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।

अगर आप सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो वाद को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

कानूनगो का डिजिटल हस्ताक्षर

नया प्रपत्र-12

(देखें नियम-11 उप नियम-(1))

प्रारूप खानापूरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-.....LGD Code- थाना सं०-..... पुलिस थाना-.....

अंचल-.....जिला-.....

राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना सं०-..... के सभी भू-स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम-.....राजस्व थाना सं०-..... की भूमि से सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख प्रारूप को एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

खतियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	रैयत का नाम (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित हिस्से के मामले में हिस्सा के अनुसार रैयत का नाम), पिता/पति का नाम, जाति एवं निवास तथा पत्राचार का पता	लिंग			रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	खसरा सं०	ULPIN No	भू-खंड का रकबा	
			पुरुष	महिला	अन्य				ए०	डी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फसल के अधीन खेती योग्य भूमि				खेती हेतु अयोग्य भूमि	सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार सहित)	जियोरेफेरेन्स मानचित्र
		भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

अधिकार-अभिलेख प्रारूप (दिनांक)..... तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भूमि अथवा उस भूमि जिसमें आपका कोई अस्तित्वयुक्त हित है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख प्रारूप का परिशीलन किया जाय।

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त
पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-12 'क'
(देखें नियम-11 उप नियम-(1))
प्रारूप खानापुरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-..... LGD Code-..... थाना नं०-.....वार्ड संख्या-.....

.....नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

राजस्व ग्राम-.....राजस्व थाना सं०-..... के सभी भू-स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम-.....राजस्व थाना सं०-..... की भूमि से सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख प्रारूप को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

भू-धारी का भूमि का विवरण																		
क्र० सं०	रैयत का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग			जाति	पत्राचार का पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	खेसरा सं०		ULPIN No.	पुराना खाता नं०	खेसरा का रकबा			चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण (आवासीय परती, कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक, सरकारी एवं अन्य	जियोरेफेरन्स मानचित्र
			पुरुष	महिला	अन्य				नया	पुराना			ए०	डी०	वर्ग मी०			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

अधिकार-अभिलेख प्रारूप (दिनांक)..... तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भूमि अथवा उस भूमि जिसमें आपका कोई अस्तित्वयुक्त हित है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख प्रारूप का परिशीलन किया जाय।

[illegible]

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)												
स्वामित्वधारी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग			जाति	पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	प्रोपर्टी आईडी०	भवन का नाम	प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०	प्लैट सं०
		पुरुष	महिला	अन्य								
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)											
कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग / गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 57+58+59)			मलिकाना हक प्राप्ति का आधार	मलिकाना हक प्राप्ति का वर्ष	दाखिल खारिज संख्या	भू-अधिभार		संपूर्ण भवन का फोटो
			ए०	डी०	वर्ग मी०				विवरण	दाखिल खारिज संख्या	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

QR Code

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर एवं मुहर

Disclaimer

प्रपत्र—13'क'
(देखें नियम—13 उप नियम—(1))

खानापुरी अधिकार—अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा/आक्षेप आमंत्रित करने का प्रपत्र

सूचना:—राजस्व ग्राम—.....थाना सं०—.....

LGD Code—.....वार्ड सं०—.....

नगरपालिका—.....अंचल—.....जिला—.....

के सभी संबंधित व्यक्तियों को एतद् द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम—.....

.....थाना सं०—.....वार्ड सं०—.....

नगरपालिका—.....अंचल—.....जिला—.....का

मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा

दिनांक—.....से.....तक प्रकाशित किया जा रहा है। इस

अवधि में यह सभी भू—धारी/स्वामित्वधारी तथा संबंधित व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु मुफ्त

उपलब्ध रहेगा। उपर्युक्त अवधि में प्रारूप खानापुरी अधिकार—अभिलेख में की गयी

प्रविष्टियों अथवा उसमें लोप होने से संबंधित दावा/आक्षेप के संबंध में आवेदन दायर

किया जा सकेगा तथा उसे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर में प्राप्त किया जाएगा।

स्थान :—

दिनांक:—

शिविर प्रभारी का डिजिटल
हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्रपत्र—14'क'
(देखें नियम—13 उप नियम—(4))
दावों/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:—.....
.....
.....
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:—.....
.....
.....
3. विवादित भूमि का ब्यौरा:—
राजस्व ग्राम—.....थाना नं०—.....LGD Code—.....
वार्ड संख्या—.....जिला—.....म्युनिसिपल खाता—.....
म्युनिसिपल खेसरा—.....रकबा—.....भवन का नाम—.....
प्रोपर्टी आई० डी०—.....प्लैट के समानुपातिक भूमि का
क्षेत्रफल (वर्ग मी०)—.....तल सं०—..... प्लैट सं०—.....
कुल निर्मित क्षे०—.....पार्किंग/गैराज का क्षे०—.....रिक्त भूमि का
क्षे०—.....कुल क्षे०—.....
4. दावा/आक्षेप का सार:—.....
.....
5. अपेक्षित राहत:—.....
.....

दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का हस्ताक्षर/
अँगूठे का निशान।

प्रपत्र-15'क'

(देखें नियम-13 उप नियम-(5))

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-..... LGD Code-.....थाना नं०-..... वार्ड संख्या-.....

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

क्र० सं०	आवेदन दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम पूरा पता सहित	प्रतिवादी का नाम पूरा पता सहित	विवादित भूमि							
				प्रोपर्टी आई०डी०	भवन का नाम एवं तल संख्या	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा			प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
								ए०	डी०	वर्ग मी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवादित भूमि								निपटारे की तिथि	आदेश का सार तिथि सहित	आदेश के अनुसार सुधार किये जाने की तिथि
तल सं०	प्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग / गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 15+16+17)					
					ए०	डी०	वर्ग० मी०			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

शिविर प्रभारी का डिजिटल हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्रपत्र—16'क'
(देखें नियम—13 उप नियम—(5))
दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या.....तिथि.....दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम.....

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

नोट— रेखा के निचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता को दावा/आक्षेप की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में दिया जायेगा।

प्रपत्र-17'क'

(देखें नियम-13 उप नियम-(7))

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम-..... डाकघर-.....थाना-.....वार्ड सं०-..... अंचल-..... जिला-.....को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक-.....को दायर दावों/आक्षेपों, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांक-.....को पूर्वाहन/अपराहन (स्थान)..... पर नियत की गयी है।

दावा/आक्षेप का ब्यौरा

वाद संख्या एवं दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम के साथ-साथ पिता/पति का नाम एवं पता	भूमि का ब्यौरा									
		राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	वार्ड नं०	प्रोपर्टी आई०डी०	म्युनिसिपल खाता नं०	म्युनिसिपल खेसरा नं०	रकबा			चौहद्दी
								ए०	डी०	वर्ग मी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

भूमि का ब्यौरा										दावों / आपत्तियों का सार
भवन का नाम	फ्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०	फ्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग / गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 17+18+19)			
							ए०	डी०	वर्ग मी०	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

आपको निदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपने दावों/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य, अगर कोई हो, सहित स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों। अगर आप सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो वाद को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

शिविर प्रभारी का डिजिटल हस्ताक्षर एवं मुहर।

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....**LGD Code-**.....वार्ड संख्या-.....
नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

[illegible]

[illegible][illegible]

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)													
स्वामित्वधारी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग			जाति	पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल सं०	प्रोपर्टी आई०डी०	भवन का नाम	फ्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०	फ्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल
		पुरुष	महिला	अन्य									
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)										
पार्किंग/गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 55+56+57)			मलिकाना हक प्राप्ति का आधार	मलिकाना हक प्राप्ति का वर्ष	दाखिल खारिज संख्या	भू-अधिभार		संपूर्ण भवन का फोटो
		ए०	डी०	वर्ग मी०				विवरण	दाखिल खारिज संख्या	
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

शिविर के प्रभारी पदाधिकारी का डिजिटल
हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्रपत्र-18'ग'

देखें नियम-14 का उप नियम-5(क)(i)

लगान बन्दोबस्ती दर तालिका

राजस्व ग्राम-.....थाना नं०-.....LGD Code-.....वार्ड संख्या-.....

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

लगान दर

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

क्र० सं०	म्यूनिसिपल खाता संख्या	रैयत का नाम	म्यूनिसिपल खेसरा संख्या	रकबा							
				आवसीय			लगान	गैर आवसीय			लगान
				ए०	डी०	वर्ग मी०		ए०	डी०	वर्ग मी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कुल रकबा			कुल लगान	अभ्युक्ति दखल सहित
ए०	डी०	वर्ग मी०		
13	14	15	16	17

विशेष सर्वेक्षण अमीन का
डिजिटल हस्ताक्षरविशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त
पदाधिकारी का डिजिटल
हस्ताक्षरबंदोबस्त पदाधिकारी का
डिजिटल हस्ताक्षर

नगरपालिका-.....अंचल-.....जिला-.....

[illegible][illegible]

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)								
स्वामित्वधारी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल सं०	प्रोपर्टी आई०डी०	भवन का नाम	प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल संख्या
32	33	34	35	36	37	38	39	40

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)							
प्लैट संख्या	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग/ गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 42+43+44)			लगान
				ए०	डी०	वर्ग मी०	
41	42	43	44	45	46	47	48

अमीन का डिजिटल
हस्ताक्षर

कानूनगो का डिजिटल
हस्ताक्षर

शिविर के सहायक बंदोबस्त
पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर

नया प्रपत्र-20

(देखें नियम-15 उप नियम-(1))

प्रारूप अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-.....LGD Code-.....राजस्व थाना सं०-..... के सभी भू-स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम-.....राजस्व थाना सं०-..... की भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।

राजस्व ग्राम-.....राजस्व थाना सं०-.....LGD Code-.....

पुलिस थाना-.....अंचल-.....जिला-.....

खतियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	रैयत का नाम (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित करने के मामले में हिस्सानुसार रैयतों का नाम), पिता/पति का नाम, जाति एवं पत्राचार क पता	लिंग			रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	खेसरा नं०	ULPIN No.	भूमि का रकबा		चौहद्दी
			पुरुष	महिला	अन्य				ए०	डी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

भूमि का वर्गीकरण	फसल के अधीन खेती योग्य भूमि				कृषि हेतु अयोग्य रकबा	लगान (सेस को छोड़कर)	दाखिल खारिज संख्या	भू-अधिभार		अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार सहित)	जियोरेफ़रेन्स मानचित्र
	भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य				विवरण	दाखिल खारिज संख्या		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

अंतिम अधिकार अभिलेख (दिनांक)..... तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान अंतिम अधिकार अभिलेख का परिशीलन कर लिया जाय।

दिनांक:-

QR Code

जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर एवं मुहर

Disclaimer

वार्ड सं०—.....नगरपालिका—.....अंचल—.....जिला—.....

[illegible][illegible]

QR Code

[illegible][illegible]

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)													
स्वामित्वधारी का नाम	पिता / पति का नाम	लिंग			जाति	पत्राचार पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल सं०	प्रोपर्टी आई०डी०	भवन का नाम	प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०	प्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल
		पुरुष	महिला	अन्य									
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

पार्किंग / गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कालम 58+59+60)			लगान	मलिकाना हक प्राप्ति का आधार	मलिकाना हक प्राप्ति का वर्ष	दाखिल खासिज संख्या	भू-अधिभार		संपूर्ण भवन का फोटो
		ए०	डी०	वर्ग मी०					विवरण	दाखिल खासिज संख्या	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

QR Code

जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का डिजिटल
हस्ताक्षर एवं मुहर

Disclaimer

प्रपत्र-21'क'
(देखें नियम-15 का उप नियम-(3))

अधिकार-अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/प्रकाशन के उपरांत दावा/आक्षेप
दायर करने हेतु प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:—.....
.....
.....
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:—.....
.....
.....
3. विवादित भूमि का ब्यौरा:—
राजस्व ग्राम—..... थाना नं०—.....LGD Code-.....
.वार्ड संख्या—.....जिला—.....म्युनिसिपल खात—.....
.म्युनिसिपल खेसरा—..... रकबा—.....
भवन का नाम—.....प्रोपटी आई०डी०—.....
प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०.)—.....तल सं०—.....
प्लैट सं०—.....कुल निर्मित क्षेत्र—.....पार्किंग/गैराज का
क्षेत्र—.....रिक्त भूमि का क्षेत्र—.....कुल क्षेत्र—.....
4. दावा/आक्षेप का सार—.....
.....
5. अपेक्षित राहत—.....
.....

दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का
हस्ताक्षर/ अँगूठे का निशान

प्रपत्र-22 'क'

(देखें नियम-15 का उप नियम-(4))

प्रारूप अधिकार-अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/उपरान्त दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
 निवासी ग्राम-.....डाकघर-.....थाना-.....
 वार्ड सं०-.....अंचल-.....जिला-.....को दायर दावा/अपत्ति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांक-.....को पूर्वाहन/अपराहन (स्थान).....
 बजे.....(स्थान).....नियत की गयी है।

दावा/आक्षेप की विवरणी

वाद संख्या एवं दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम के साथ—साथ पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	भूमि का ब्यौरा									
		राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	वार्ड नं०	प्रोपर्टी आई०डी०	म्युनिसिपल खाता नं०	म्युनिसिपल खेसरा नं०	रकबा			चौहद्दी
								ए०	डी०	वर्ग मी०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

भूमि का ब्यौरा										दावों / आपत्तियों का सार
भवन का नाम	प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०	प्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग / गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 17+18+19)			
							ए०	डी०	वर्ग मी०	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

नियम 15 (2) के अधीन दावों/आक्षेपों के निपटारा हेतु अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-23
(देखें नियम-15 उप नियम-(4)'क')
दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या.....तिथि.....
दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम.....

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का
हस्ताक्षर/मुहर

नोट:- दावा/आपत्ति याचिका की प्राप्ति के प्रतीत के रूप में रेखा के नीचे का भाग फाड़कर दावेदार/आपत्तिकर्ता को दे दिया जाएगा।

प्रपत्र-23'क'
(देखें नियम- 15 उप नियम-(4)'क')
दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या.....तिथि.....दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता
का नाम.....

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/ कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर।

नोट:-दावा/आपत्ति याचिका की प्राप्ति के प्रतीत के रूप में रेखा के नीचे का भाग फाड़कर दावेदार/आपत्तिकर्ता को दे दिया जाएगा।

प्रपत्र-24

(देखें नियम-15 उप नियम-(4) 'क')

प्रारूप अंतिम अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र
 राजस्व ग्राम-..... थाना नं०-..... LGD Code.....

अंचल:-..... जिला:-.....

क्र० सं०	वाद संख्या एवं दायर करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	विवादित भूमि का ब्यौरा					
					अंचल	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा ए० डी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

पार्सल आई०डी०	ULPIN No.	निपटारे की तिथि	आदेश का सार तिथि सहित	आदेश के अनुसार सुधार की तिथि, अगर आवश्यक हो
12	13	14	15	16

प्राधिकृत पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर

प्रपत्र-24'क'

(देखें नियम-15 उप नियम-(4)'क')

अंतिम अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम-..... थाना नं०-..... LGD Code..... वार्ड सं०-.....

नगरपालिका-..... अंचल-..... जिला-.....

दावा/आक्षेप की विवरणी

क्र० सं०	आवेदन सं० / दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम पिता / पति का नाम तथा पूरा पता सहित	प्रतिवादी का नाम पूरा पता सहित	विवादित भूमि								
				प्रोपर्टी आई०डी०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा			भवन का नाम	प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०
							ए०	डी०	वर्ग मी०			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवादित भूमि							निपटारे की तिथि	आदेश का सार तिथि सहित	आदेश के अनुसार सुधार किये जाने की तिथि
प्लैट सं०	कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग / गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 15+16+17)					
				ए०	डी०	वर्ग० मी०			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

प्रपत्र-25

(देखे नियम-15 का उप नियम-(8))

अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

राजस्व ग्राम-..... थाना सं०-.....

LGD Code- अंचल-.....

जिला-.....

खतियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	रैयत का नाम (सह-हिस्सेदारों का नाम और हिस्सा, यदि कोई हो, सहित), पिता/पति का नाम, जाति तथा आवास	लिंग			रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल सं०	खेसरा नं०	पर्सल यूनिक आई०डी०	ULPIN No.	रकबा ए० डी०	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण
			पुरुष	महिला	अन्य							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

फसल के अधीन खेती योग्य भूमि				खेती हेतु अयोग्य भूमि का एकबा	सेस को छोड़कर लगान	दाखिल खारिज संख्या	भू-अधिभार		अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार सहित)	जियोरेफेरेन्स मानचित्र
भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य				विवरण	दाखिल खारिज संख्या		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

QR Code

जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का डिजिटल
हस्ताक्षर एवं मुहर

Disclaimer

प्रपत्र-25'क'
 (देखे नियम-15 का उप नियम- (8))
 अंतिम प्रकाशित अधिकार अभिलेख का प्रारूप
 राजस्व ग्राम-..... थाना सं०-..... LGD Code.....
 वार्ड सं०-..... नगरपालिका-..... अंचल-..... जिला-.....

भू-धारी का भूमि का विवरण									
म्यूनिसिपल खाता संख्या	रैयत का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग			जाति	पता पत्राचार का पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	म्यूनिसिपल खेसरा सं०
			पुरुष	महिला	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

भू-धारी का भूमि का विवरण							
पार्सल यूनिट आई०डी०	ULPIN No.	म्यूनिसिपल खेसरा का रकबा			भूमि का वर्गीकरण (आवासीय/ गैर आवासीय)	लगान	जियोरेफेरेन्स मानचित्र
		ए०	डी०	वर्ग मी०			
11	12	13	14	15	16	17	18

QR Code

Disclaimer

[illegible]

Disclaimer

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)												
स्वामित्वधारी का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग			जाति	पता	रैयत का आधार नं० एवं मोबाईल नं०	प्रोपर्टी आईडी०	भवन का नाम	प्लैट के समानुपातिक भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	तल सं०	प्लैट सं०
		पुरुष	महिला	अन्य								
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

बहुस्वामित्व भवन से संबंधित विवरण (उन मामलों में जहाँ भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्मित है एवं एक से ज्यादा स्वामी हों)											
कुल निर्मित क्षेत्रफल	पार्किंग/गैराज का क्षेत्रफल	रिक्त भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (कॉलम 56+57+58)			लगान	दाखिल खारिज संख्या	भू-अधिभार		संपूर्ण भवन का फोटो	
			ए०	डी०	वर्ग मी०			विवरण	दाखिल खारिज संख्या		
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	

QR Code

 जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का डिजिटल
हस्ताक्षर एवं मुहर

Disclaimer

 सीमा त्रिपाठी,
सचिव।

Revenue and Land Reforms Department

Notification

1st June 2026**The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2026**

No.-03/Bhu.A.Ni(6)vishesh survey(Niyamabali)-20/2024-163(8)— In exercise of the powers conferred under Section-28(1) of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011) (as amended from time to time), the State Government hereby amends the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 (as amended from time to time) and makes the following amendment rules: -

1. ***Short title, extent and commencement.-***

- (1) These rules may be called "**The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2026.**"
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) Except proviso to rule-15(3), all other provisions of the notification shall come into force from the date of its publication.
- (4) The proviso to rule-15(3) shall be deemed to have come into force with retrospective effect from the date on which the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 have been brought into force.

2. **The definition of the following new words shall be inserted after clause-(xvi) of sub-rule-(1) of Rule-2 of the said Rules, 2012:**

- (xvii) "**Publication of draft final record of rights**" means the publication of the draft final record of rights prepared at the Special Survey Camp stage under the signature and seal of the Settlement Officer under section-11(1) of the Act.
- (xviii) "**Village record**" means the record showing a brief description of the stage-wise works of special survey and settlement operation in the notified revenue village in the light of section-3 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011.
- (xix) "**Municipal Record**" means the record showing a brief description of the stage-wise works of special survey and settlement operation in the notified municipal area in the light of section-3 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011.
- (xx) "**Owner**" means, in the case of multi-storey buildings, the person who holds legal ownership of the individual units of the building.

3. **Sub-rules (1) and (2) of Rule-4 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following: -**

- 4(1).- The Settlement Officer shall publish a proclamation in "**Form-1**" for rural areas and in "**Form-1'A**" for municipal areas addressed to the land holders/ persons having any interest in the lands of the area under special survey and settlement operation directing them to demarcate their lands for the purpose of pointing out boundary marks of the land parcels.,
- 4(2).- After the publication of the proclamation under foregoing rule-4(1), the Settlement Officer or any other officer/employee acting under the authority of the Settlement Officer shall have the power to enter upon lands, single plots/complexes in multiple ownership of rural/municipal area under special survey and settlement to

examine and measure such lands by any method, he deems fit and may clear the lands by cutting down or removing any trees, jungle, standing crops or other obstructions, as may be necessary for the purpose of survey. However, no claim or compensation as to cost can be claimed for the above action.

4. The following new sub-rule-(1A) after sub-rule-(1) of Rule-6 of the said rules, 2012 shall be inserted, sub-rule-(2), (3), (4), (6), (7) and (8) of Rule-6 of the said rules, 2012 shall be substituted: -

6(1A).- Raiyats of municipal areas under rule-4(1) may submit a self-declaration in "**Form-2'A**" either online or offline.

One copy of the self declaration shall be made over to the person concerned after initiating and putting date and serial number by the receiving officer/employee as a token of acknowledgement of the same.

6(2).- The self-declaration shall be submitted by the raiyats under rule-4(1) in rural areas and municipal areas until the completion of the Kishtewar work.

6(3).- The landowner/raiyat may provide self-declaration in respect of land held by him and pedigree in the prescribed "**Form-3(1)**" in rural areas and "**Form-3(1)(A)**" in municipal areas either online or to the Settlement Office/ Camp office or the Officer/Official concerned for this purpose.

6(4).- The self-declaration shall be received by the Assistant Settlement Officer as per provisions provided in sub-rules-(1) and 1(A) and the same record of right shall be matched with the help of different revenue records of right.

6(6).- Matching of self-declaration with the revenue records shall be done until the commencement of Khanapuri.

6(7).- After matching the self-declaration, the concerned Assistant Settlement Officer shall prepare a verification certificate in "**Form-3**" and "**Form-3'A**".

6(8).- Any self-declaration which could not be matched by the Assistant Settlement Officer due to non-availability of the relevant records or due to disputes, a brief reason for non-matching shall be maintained in a separate register in "**Form-4**" and "**Form-4'A**".

5. Sub-rule-(1) and (5) of Rule-7 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following: -

7(1).- The Kishtewar of a revenue village/Municipal areas shall be carried out by the preparation of map through modern technology inclusive of base mapping, demarcation of plots as well as revenue village and ground verification.

7(5).- The verification of the map of a revenue village or a revenue village under the Municipal area shall be completed within a period not exceeding 30 (thirty) working days from the date of receipt of the map, however, this period may be extended up to 90 (ninety) working days by the Settlement Officer in case of large number of plots in the villages/municipal areas.

6. **Sub-rule-(1A) after Sub-rule-(1) of Rule-8 of the said rules, 2012, shall be inserted by the following: -**
- 8(1'A').-** For the revenue villages under the municipal areas, the Khanapuri parties shall be constituted, consisting of the following. The number of members in the Khanapuri parties being determined as per the requirements, namely:-
- (i) Officers/personnel of the Department of Revenue and Land Reforms or the Directorate of Land Records and Surveys:
 - (ii) Municipal officers/employees:
 - (iii) Technically competent personnel of Revenue and Land Reforms Department/Directorate of Land Records and Surveys or Municipal Establishment.
 - (iv) More than one Khanapuri party may be formed in one revenue village in a municipal area.
7. **Sub-rules-(1), (4)(b), (6), (7), (8), (9) & (10) of Rule-9 of the said rules shall be substituted and Rule-9(3)(B)(VI) of the said rules, 2012 shall be inserted by the following: -**
- 9(1).-** Before the initiation of Khanapuri work of a revenue village, a Khatiyani vivarni and a plot register shall be prepared for rural areas in "**Form-5**" and "**New Form-6**" respectively and for municipal areas in "**Form-5'A**" and "**Form-6'A**" respectively.
- 9(3)(B)(vi).-** For multi-storey buildings situated on a plot of land in municipal areas, legal possession of land divided proportionately as per the situation or determination of ownership proportionately as per consent.
- 9(4)(B).-** If concerned raiyat is not found present at the time of spot verification during Khanapuri stage, then the Amin shall enter the same in the Yaddasht register and proceed serial wise. If such raiyat makes his presence after fixed due date, then the land details of such raiyat shall be entered by Amin with his signature and date in the Yaddasht register "**Form-3(2)**" in rural areas and in for Yaddast register "**Form-3(2)(A)**" areas in municipal areas".
- Details of revenue records/ documents/ evidences shall be entered in the Yaddasht register on the basis of which khata has been opened during Khanapuri stage in the name of concerned raiyat.
- 9(6).-** After the verification, the Khanapuri Party shall prepare raiyatwise Khanapuri purcha in "**Form-7**" in rural areas and in "**Form-7'A**", raiyatwise or in case of multi-storey buildings, owner wise in municipal areas, in the light of available reference revenue records, verification certificates of self declaration as well as actual field verification.
- 9(7).-** The Khanapuri purcha prepared in "**Form-7**" and "**Form-7'A**" shall be served to the landholders/ owners including officers concerned with Government land/

- public land. Landholders/ owners shall also be made aware of the entries of the Khanapuri purcha at a convenient place and on fixed date and time.
- 9(8).-** Khanpuri purcha prepared in "**Form-7**" and "**Form-7'A**" shall be served on the raiyat concerned or his near relative. However, if he declines to receive the purcha the same will be served on him by pasting it on the front gate of his house/wall. The person responsible for the service of the purcha, shall, as far as possible, obtain the signature of the panchayat representative, village chowkidar and other local residents on the service report and the same shall be deemed to be a proper service of the Khanapuri purcha. Information provided through public electronic means shall be deemed to be a proper service.
- 9(9).-** Claims/objections against the entries of Khanapuri purcha may be filled by the landholder/owner or any person having interest in the land including representative of the concerned office of the state government/central government/public sector/local bodies in "**Form-8**" in rural areas and "**Form-8'A**" in municipal areas and a receipt as a token of acknowledgement for the same shall be issued to the person concerned in "**Form-9**" in rural areas and "**Form-9'A**" in municipal areas.
- 9(10).-** Claims/objection of the landholder/owner or any other person having interest in the land received at the camp office concerned shall be maintained in a separate register in "**Form-10**" for rural areas and "**Form-10'A**" in municipal areas.
- 8. Sub-rule-(1) of Rule-10 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following: -**
- 10(1).-** The concerned Kanungo / Revenue Officer shall issue separate notices to the parties concerned for disposal of claims/objections in "**Form-11**" in rural areas and "**Form-11'A**" in municipal areas, clearly mentioning therein the place, date and time of hearing besides a brief account of the claim/objection.
- 9. Sub-rule-(1) of Rule-11 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following: -**
- 11(1).-** After completion of Khanapuri work, a draft of Khanapuri record of rights shall be prepared in "**New Form-12**" in rural areas and "**Form-12'A**" in municipal areas incorporating the orders with respect to the claims/objections received during Khanapuri operation against the entries in Khanapuri Purchas well as the map.
- 10. Sub-rule-(1) of Rule-12 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following: -**
- 12(1).-** The draft Khanapuri record of rights including map prepared under Rule-11(1) and attested by the Assistant settlement officer

concerned under Rule-11(2), shall be published for a continuous period of 30 (thirty) days in the following manner:-

- (i) by displaying it in the concerned settlement camp,
- (ii) by displaying it at some conspicuous public place in the concerned revenue village/municipal area;
- (iii) by displaying it on the notice board of the concerned Gram Panchayat office,
- (iv) By displaying it on the notice board of the circle office/ Municipal Office concerned.

11. Sub-rules-(1), (2), (4), (5) and (7) of rule-13 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following: -

- 13(1).-** Simultaneous with the publication of the draft Khanapuri Record of Rights under Rule-12(1), the Assistant Settlement Officer concerned shall issue a public notice in "**Form-13**" in rural areas and in "**Form-13'A**" in municipal areas inviting claims/objections, if any, with respect to the entries of draft record of rights including the configuration/ area of the plots shown in the concerned map.
- 13(2).-** The public notice shall be displayed by pasting it at prominent public places of the revenue village/municipal area concerned, on the notice boards of the gram panchayat/wards of the municipal areas concerned and the concerned special survey and settlement camp.
- 13(4).-** The claims/objections against the entries in Draft Record of Rights, including the map, may be filed in the Special Survey and Settlement camp concerned, by a land owner/holder or any person having interest in the land including representatives of the concerned office of the state Government/Central Government/ public Sector/ Local bodies in "**Form-14**" in rural areas and "**Form-14'A**" in municipal areas.
- 13(5).-** The claims/objections of the landholders/owners or any other person having interest in the land received at the special survey and Settlement camp shall be maintained in a separate register in "**Form-15**" in rural areas and "**Form-15'A**" in municipal areas and a receipt as a token of acknowledgement for the same shall be issued to the person concerned in "**Form-16**" in rural areas and "**Form-16'A**" in municipal areas.
- 13(7).-** The Assistant Settlement Officer shall issue separate notices to the concerned parties in "**Form-17**" in rural areas and "**Form-17'A**" in municipal areas where under a brief account of claims/objections, mentioning therein the place, date and time of the hearing.

12. Sub-rules-(2) and (4) of Rule-14 of the said Rules, 2012 shall be substituted and provided that shall be inserted at the end of Rule-14(5)(A)(i), 14(5)(A)(ii), 14(5)(A)(iv) and 14(5)(A)(v) and sub-rule-(6) shall be repealed:-

- 14(2).-** A detailed comparison of village/municipal boundaries with the boundaries as shown in the last revenue village/ municipal map and orders passed at different earlier stages shall be made and

the process shall be called "Muqabla". Care shall be taken that the area of plots as shown in the draft record of rights matches with the area shown in the map concerned.

14(4).- After passing the area by the Assistant Settlement Officer concerned, a new Terij i.e. 'Abstract of the new rights record' in **"Form-18"** in rural areas and **"Form-18'B"** in municipal areas, new plot register in **"Form-19"** in rural areas and in **"Form-19'A"** in municipal areas shall be prepared by Amins.

14(5)(A)(i).- Provided that after publication of the draft of Record of Rights in the municipal areas, the Assistant Settlement Officer shall prepare rent roll in **"Form-18'C"**, on the basis of the rent table fixed by the State Government for the municipal area, for each raiyat/owner of the concerned revenue village of the municipal area according to the details and nature of the land held by him.

14(5)(A)(ii).- Provided that after the preparation of rent roll of the concerned village of municipal areas in view of the provisions of sub-rule-5(A)(i) of Rule-14, as per land detail and its nature, owned by all raiyats, concerned Assistant Settlement officer shall publish draft rent roll for receipt of objections and claims and such objections shall be received within 15 (fifteen) days from the date of its publication.

14(5)(A)(iv).- Provided that in Municipal areas, after disposal of claims and objections received and rent roll prepared in view of sub-rule-5(A)(ii) of Rule-14, the charge officer shall examine the raiyatwise/ ownerwise rate of settlement rent roll of the concerned revenue village as submitted by the Assistant Settlement Officer. If it is found correct, he shall submit it to the Settlement Officer for confirmation and sanction.

14(5)(A)(v).- Provided that in Municipal areas, the Settlement Officer may sanction raiyatwise/ownerwise settlement rent roll with or without correction. If correction is required in settlement rent roll, the same shall be returned to the Assistant settlement Officer for reconsideration.

For amendment in raiyatwise/ownerwise rent Table of concerned revenue village received for reconsideration, the Assistant Settlement Officer shall issue notices to concerned parties for amendment in raiyatwise/ownerwise rent roll and after hearing concerned parties, his findings shall be recorded in case record. After hearing and completing other formalities, correction will be made in concerned rent roll and rent shall be incorporated in the relevant columns of New **"Form-20"** in rural areas and **"Form-20'A"** in municipal areas of record of rights of the land owned by concerned raiyat/raiylats/owner.

14(6).- **Sub-rule-(6) of Rule-14 of the said Rules, 2012 shall be deleted.**

13. Sub-rules-(1), (3) and (4) of rule-15 of the said Rules, 2012 shall be substituted and sub-rule-(4)'A' after sub-rule-(4) shall be inserted and sub-rule-(8) shall be inserted after sub-rule-(7):-

15(1).- The copies of the draft final record of rights and maps in New **"Form-20"** in rural areas and in **"Form-20'A"** in municipal areas shall be finally published under the hand and seal of the settlement officer of the concerned district.

The same shall be placed for public inspection from the date of final publication for a continuous period of 30 (thirty) days in the following manner: -

- (i) by displaying it in the special survey and settlement camp concerned;
- (ii) by displaying it at a conspicuous public place in the revenue village/municipal area concerned;
- (iii) by displaying it on the notice board of the ward concerned to the revenue village/municipal area;
- (iv) by displaying it on the notice board of the concerned circle office/ nagarpalika Office and online on the website of Revenue and Land Reforms Department/ Urban Development Department.

15(3).- Any person in revenue villages who has an interest in any land or a part thereof may file claims/objections within 90 (ninety) days from the date of draft final publication under section-11(1) of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time) before the notified officer concerned in **"Form-21"** in rural areas and **"Form-21'A"** in municipal areas.

Provided that if the officer authorized for hearing is satisfied that there is sufficient reason for the delay, he may condone the delay in filing the claim or objection received for hearing.

15(4).- The notified officer in rural/municipal areas shall issue notices in **"Form-22"** in rural areas and **"Form-22'A"** in municipal areas containing therein a brief account of claims/objections to the parties concerned for the disposal of claims and objections

15(4)'A'.- Against objections received in **"Form-22"** and **"Form-22'A"**, an acknowledgement will be issued to the person concerned in **"Form-23"** in rural areas and **"Form-23'A"** in municipal areas as proof of acceptance for the same. The claims, objections received under the concerned survey and settlement notified will be maintained in a separate register in **"Form-24"** for rural areas and **"Form-24'A"** in municipal areas.

15(8).- On the basis of the new record of rights and plot register, copies of final record of rights shall be prepared in **"Form-25"** or rural areas for its final publication in quadruplicate and in **"Form-25'A"** for municipal areas in quintuplicate after proper checking and comparison and the process shall be called "Safai". A copy of the Records of rights for rural/municipal areas called "Raiyati Fard" shall be made available to the concerned raiyats/owners. The second copy shall be sent to the concerned Anchal Adhikari for the preparation of Tenants Ledger register.

The third copy called "Maliki Fard" shall be made available to the Collector of the District concerned. The fourth

copy shall remain in the custody of the Director, Land Records and Survey for preservation and for future reference. In municipal areas, the fifth copy of "Form-25'A'" will be made available to the concerned Municipal Corporation / Nagar Parishad/ Nagar Panchayat of the Urban Development and Housing Department.

14. After rule-15 of the said Rules, 2012, rule-15'A' shall be inserted:-

Rule-15'A'.- Appeal

- (i) The government may notify one or more officers not below the rank of Additional District Magistrate for hearing appeals against orders passed under Rule-15(7).
- (ii) The Appellate Authority shall not pass any order modifying, altering or setting aside any order passed by any officer unless the parties concerned have been given a reasonable opportunity of being heard.
- (iii) Any person aggrieved by an order passed under Rule-15(7) may, within 30 (thirty) days from the date of passing of the order, file an appeal against such order in the Court of the competent authority empowered to hear appeals against such order.
- (iv) The Appellate Authority may condone the delay in filing the appeal if it is satisfied that there are sufficient reasons for the delay.
- (v) Where an appeal is filed against an order passed under Rule-15(7), the appellate authority shall demand the case record from the officer notified under Rule-15(2).
- (vi) The Appellate Authority shall issue notice either in person or through its authorized representative, to all the parties concerned in the case, directing them to appear on the specified date, time and place fixed for hearing of the case.
- (vii) In case any of the parties does not appear even after given an opportunity for appearance and hearing, the Appellate Authority may dispose case ex-parte on the basis of available records/documentary evidences.
- (viii) An appeal received against an order passed under Rule-15(3) shall be disposed of, as far as possible, within 90 working days from the date of filing of the appeal.
- (ix) After disposal of the appeal, the Appellate Authority shall return the case record to the Settlement Officer for implementation of its order.
- (x) On receipt of the case record, the Settlement Officer shall issue a correction slip in the prescribed manner.
- (xi) On receipt of the case record on the basis of the correction slip, the Settlement Officer shall take necessary action for making changes in the entries in the record of rights and map in the prescribed manner.

- 15. Rule-21 'A' shall be inserted after Rule-21 of the said Rules, 2012.-**
21'A'.- Director, Land records and survey, Bihar with the consent of the Urban Development and Housing Department, shall frame Technical Guidelines in municipal areas, within 60 (sixty) days from the date of notification of these rules, for meeting any or all of the purposes of this act. The said Technical Guidelines shall be notified by the Revenue and land reform department. The said Technical Guidelines shall include, besides other things, prevalent methods of Kistwar by modern technology. The said Technical Guidelines shall also incorporate works to be done during recess. Necessary provisions shall also be made in the said Technical rules regarding the maintenance/publication and making available record of rights and map of a revenue village in digital form to interested persons under section-14 of this act.
- 16. Form-6, Form-12 and Form-20 of the said Rules, 2012 shall be substituted.**- "Form-6" of the Rules shall be substituted by New "Form-6", "Form-12" by New "Form-12" and "Form-20" by New "Form-20".

By Order,
SEEMA TRIPATHI,
Secretary.

Form-1'A'

[See sub-rule-(1) of Rule-4]

Form of Proclamation

Revenue Village—.....Thana No.—.....

LGD Code-.....Ward No.-..... Municipality—.....

Anchal—.....District—..... All the Land

holders/persons having interest in the land including the custodian of Public/Government land are hereby informed that any person authorized or deputed by the undersigned may enter upon the land to identify and demarcate the village boundary as well as its land parcels. You are directed to co-operate with them in examining/measuring the land as well as cutting down or removing trees, jungles, standing crops or other such obstructions, as may be necessary for the purpose of survey and not to put any hurdle/hindrance in discharge of their duty.

You are further directed to demarcate the boundaries of your land parcels.

Date-.....

**Signature of Survey and
Settlement Officer**

Form-2'A'

[See Sub-rule-(1A) of Rule-6]

Form of Self-declaration of Lands Owned/Held by the Raiyats.

Revenue Village----- Thana No.-----

LGD Code-----Ward No.-----

Municipality----- Anchal-----

District-----

Name of the Raiyat	Father's/ Husband's Name	Caste	Correspondence Address	Gender			Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Survey/Municipality Khata	Details of Lands Owned/Held			
				Male	Female	Others			Survey/Municipality Khesra	Area of Land Parcel		
										A.	D.	Sq. m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Details of Lands Owned/Held										Jamabandi No.	Basis of Claim over the land such as Succession/ Gift Purchase/ Settlement / Others	Remarks, If any.
Name of Building	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garage Area	Total Area (Column 17+18)			Basis of Ownership over the land	Year of Ownership over the land			
					A.	D.	Sq. m					
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

I/We declare that the entries made in self-declaration is true to my/our knowledge. In case of any wrong entry in self declaration, I/We shall be held liable for the same.

Note:- This form shall be submitted in duplicate. One copy shall be made over to the petitioner as taken of receipt after putting initial date and serial no. of the petition by the receiving Officer/Employee.

Place:-

Signature/Thumb Impression of the Raiyat.
Mobile No. and Aadhar No.

Date:-

Entries of Land found correct										Remarks, If any.
Name of Building	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Total Area (Column 34+35)			Basis of Ownership over the land	Year of Ownership over the land	
					A.	D.	Sq. m			
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

**Digital Signature
of the Amin.**

**Digital Signature
of the Kanungo.**

**Digital Signature of the
Assistant Settelement
Officer.**

Form-3(1)(A)
Pedigree (Family Tree)
Section-6 (3) of the Act

To,

Camp In-Charge

Anchal.....

Ward.....

Municipality.....

District.....

Subject:- Regarding submission of self Pedigree (Family Tree).

Sir,

Duly informing with regard to above mentioned subject here by I/We have to say that. -

(i) Mr./Mrs..... Son/Daughter/Wife of.....

(ii) Mr./Mrs..... Son/Daughter/Wife of.....

(iii) Mr./Mrs..... Son/Daughter/Wife of.....

Daughter (Daughter's), Wife of..... Resident of.....

Village..... Thana..... Ward No..... Municipality..... Anchal.....

District..... **Caste (in Capital letter)**..... whose description is written

and attached along with application in the form-II late..... Father.....

Village who was mentioned in Jamabandi Panji Serial Number.....

Revenue Village Anchal..... and whose details described as Khata No.

Plot No..... Area Rent (in rupees) In..... Khatiyen. On the basis of hereditary devolution/Partition.

I/We have earned the interest as heirs according to pedigree Family Tree Table mentioned below as per Khatiyen/Register-II.

I/We hereby declare that on the basis of below attached family tree as per Khatiyen/Register-II have earned the interest in above mentioned land under consideration is in our peaceful possession and is free from any dispute/title-suit. My/Our family tree as per Khatiyen/Jamabandi Panji is as follows.

So hereby I/We request to open an Khata in My/Our name with plot detail on the basis of family tree described in form-III for the land under consideration in the "RoR" (Records of Right) being prepared through survey operation.

Enclosure.- The Pedigree (Family Tree) of Applicant(s) is maintained on the par page.

Sincerely

Signature/Signatures of the applicant/applicants

**Possession of Individual heir on the basis of Pedigree are as follows:-
(According to khatiyani/Register-II)**

Name of Raiyat	Father's Name	Permanent Address	Details of Possession/Ownership				Jamabandi No.
			Survey/ Municipal Khata	Khesra	Area (A./D./ Sq.m.)	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8

I/We hereby declare that we have peaceful possession on the land and it is free from any dispute/title-suit. So hereby I/We request to open an khata in my/Our Name with plot detail on the basis of family tree described in form-3 for the land under consideration in the "RoR" (Records of Right) being prepared through survey operation.

Sincerely

**Signature of the
applicant(s) and Full Address.**

Enclosure:-

1. Date/Year of Dead Jambandidar.
2. Details of Jamabandi No./ Revenue Receipt No./Year.
3. Copy of Khatiyani (if Available).
4. Details Documents of Claimed Land.
5. True copy of the order if delivered by Competent court.
6. Valid documents for establishing heir of the dead raiyat /applicant.
7. Photocopy of Aadhar card of applicant(s)
8. Photocopy of voter ID of applicant(s)

Yaddasht Register to be maintained by Amins

Name and Registration No. of Amin_____

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Form-4 'A'
[See Sub-rule-(8) of Rule-6]
Form for Register of Un-verified/Disputed Lands.

Revenue Village----- Thana No.-----LGD Code-----

Ward No.----- Municipality----- Anchal----- District-----

Name of Raiyat	Father's/Husband's Name	Caste	Correspondence Address	Gender			Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Serial No. of Self-declaration submitted by the Raiyat	Details of Land				
				Male	Female	Others			Survey/ Municipality Khata No.	Survey/ Municipality Khesra No.	Area of Land Parcel		
											A.	D.	Sq. m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Details of Land									Classification of Land	Jamabandi No. (If any)	Brief reasons for non verification	Remarks, If any.
Boundary	Name of Building	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Total Area (Column 19+20)						
						A.	D.	Sq. m				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**Digital Signature
of the Amin.**

**Digital Signature
of the Kanungo.**

**Digital Signature of the
Assistant Settleement Officer.**

Form-5 'A'
[See Sub-rule-(1) of Rule-9]
Khatiyani Details

Revenue Village----- Thana No.-----LGD Code-----

Ward No.----- Municipality----- Anchal----- District-----

Sl. No.	Name of Raiyat(s), Father's/ Husband's name and Full Address	Serial No. of Khatiyan or Record of Rights (Survey/ Municipality Khata No.)	(Survey/ Municipality) Khesra No.	Boundary (Optional)	Residential/ Non-Residential	Area			Rent (excluding cess)	Remarks
						A.	D.	Sq. m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Digital Signature
of the Amin.**

**Digital Signature
of Kanungo.**

**Digital Signature of Assistant
Settlement Officer.**

Area under Crop						Lagan (Excluding cess)	Present Nature of Land					Mutation No.	encumbrance		Remarks
Bhadai	Aghani	Rabbi	Other Crop	Agriculture Land	Non-Agriculture Land		Agriculture	Vacant	Residential	Commercial	Industrial & Others		Particulars	Mutation No.	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Digital Signature
of Amin.

Digital Signature
of Kanungo.

Digital Signature of Assistant
Settlement Officer.

[illegible]

Details of Single Ownership (In cases where a building is constructed over the land)							Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed over the land and there are more than one owner)										
Basis of Ownership over the land	Year of Ownership over the land	Photograph of Property	Mutation No.	Encumbrances		Remarks	Name of the Owner	Father's/ Husband's Name	Gender			Caste	Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Property ID	Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)
				Particulars	Mutation No.				Male	Female	Others						
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed over the land and there are more than one owner)														
Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 57+58+59)			Basis of Ownership over the land	Year of Ownership over the land	Photograph of the entire building	Mutation No.	Encumbrances		Remarks
					A.	D.	Sq. m					Particulars	Mutation No.	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

Digital Signature
of Amin.

Digital Signature
of the Kanungo.

Digital Signature of Assistant
Settlement Officer.

[illegible]

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed over the land and there are more than one owner)																	
Name of the Owner	Father's/Husband's Name	Caste	Address	Property ID	Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 45+46+47)			Basis of Ownership over the land	Year of Ownership over the land	Photo of the entire building
												A.	D.	Sq. m			
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

Digital Signature and seal of the comp in-charge

Form-8 'A'
[See Sub-rule-(9) of Rule-9]
Form of Claims/Objections

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/ Objector.-

.....
.....

2. Name, Father's/Husband's name and full address of the opposite party.-

.....
.....

3. Details of disputed lands:-

Revenue Village-..... Thana No.....

LGD Code-..... Ward No-

District-..... Municipality-.....

Khesra-..... Area-..... Name of Building- Property

ID-..... Area of land Proportionate to the flat (Sq. m) No.

of Floor-.....No. of Flat-..... Total Built up

Area-.....Parking/Garrage Area-..... Area of Vacant

Land-..... Total Area-.....

4. Summary of Claim/Objection.-.....

.....

5. Relief Sought for.-

.....

Signature/Thumb impression of the Claimant/Objector

Form-9'A'
[See Sub-rule-(9) of Rule-9]
Form of Acknowledgement of Claims/Objections

Sl. No.-.....Date-.....Name of the Claimant/
Objector-.....

*Signature/Seal of the Receiving Officer/
Employee.*

Note:- Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/objector as token of receipt of the Claim/objection petition.

Form-10 'A'
[See Sub-rule-(10) of Rule-9]
Form of Register of Claims/ Objections

Revenue Village----- Thana No.----- LGD Code-----

Ward No.----- Municipality----- Anchal----- District-----

Sl. No.	Date of filing of the petition	Name of the Claimant/ Objector with full Address	Name of the opposite party with full Address	Disputed Land							
				Property ID	Name of Building & Floor No.	Khata No.	Plot No.	Area			Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)
								A.	D.	Sq. m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Disputed Land								Date of Disposal	Substance of order with date	Date of Correction according to order
Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 15+16+17)					
					A.	D.	Sq. m			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Digital Signature of the Kanungo

Form-11 'A'
[See Sub-rule-(1) of Rule-10]

Form of Notice

Shri/Smt./Miss_____Son/Daughter/Wife of Shri_____

Resident of village_____ Post Office_____ Thana_____

Ward_____ Anchal_____ District_____is hereby informed that the

hearing with respect to claims/objections filed on_____ (date), the details of

which are given below, has been fixed on date_____AM/PM at_____

(Place)

Details of Claim/objection

Case No. and Date of filing	Name of the Claimant/ Objector alongwith, Father's/Husband's Name & full Address	Details of Land								
		Name of Revenue village	Thana No.	Ward No.	Property ID	Municipal Plot No.	Area			Boundary
							A.	D.	Sq. m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Details of Land										Summary of claims/ objections
Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 16+17+18)			
							A.	D.	Sq. m	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

You are directed to appear in person or through your authorized representative with evidence, if any, in support of your claim/Objection on the date, time and place so fixed.

If you do not appear on the date, time and place fixed for hearing, the case may be disposed of ex-parte on the basis of available records.

Digital Signature of the Kanungo.

New Form-12
[See Sub-rule-(1) of Rule-11]
Form of Draft Khanapuri Record of Rights

Revenue Village-..... LGD Code-..... Thana No.-.....

Police Station. Anchal-..... District-

All land owners/holders or persons having interest in any land of revenue village.....revenue Thana no....., the details of which are given below, are informed that the draft record of rights with respect to the land of revenue village..... Thana No..... is hereby published :-

Sl. No.of Khatiyani	Khata No	Name of Raiyat (in cases shares held by more than one raiyat sharewise name of raiylats), Father's/Husband name, caste, residence and Correspondences Address	Gender			Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Plot No.	ULPIN No	Area of the Plot	
			Male	Female	Others				A.	D.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Boundary	Classification of Land	Cultivable land under Crop				Uncultivable Land	Lagan Excluding cess	Remark's (Including Possession/ type of possession)	Geo-referencing map
		Bhadai	Aghani	Rabbi	Other Crop				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

The draft record of rights shall remain published till..... (date), You are requested to peruse the draft record of rights with regard to your land in which you have any subsisting interest

*Seal & Digital Signature of the Assistant
Settlement officer in-charge of the camp*

Form of Draft Khanapuri Record of Rights

is hereby published :-

[illegible][illegible]

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed over the land and there are more than one owner)												
Name of the Owner	Father's/Husband's Name	Gender			Caste	Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Property ID	Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.	Flat No.
		Male	Female	Others								
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed over the land and there are more than one owner)											
Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Area of Vacant Land	Area of the Plot (Column 57+58+59)			Basis of Ownership over the land	Year of Ownership over the land	Mutation No.	encumbrance		Photograph of the entire building
			A.	D.	Sq. m				Particulars	Mutation No.	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

QR Code

Seal & Digital Signature of A.S.O Incharge in Camp

Disclaimer

Form-13'A'**[See Sub-rule (1) of Rule-13]****Form for Inviting Claims/Objections During Draft Publication of the Khanapuri Record of Rights.**

Notice to:-All concerned persons of Revenue Village-.....

Thana No..... LGD Code..... Ward No.....

Municipality..... Anchal..... District.....

It is hereby informed that the draft Khanapuri record of rights including map of Revenue

Village..... Thana No..... Ward No.....

Municipality..... Anchal..... District..... has been prepared and

is being published form to During this period, it shall remain

available to all land holders and conerened persons for inspection, free of cost. During the

aforesaid period, claim/objection petition with respect to the entry therein and the

omission there from the draft Khanapuri records, may be filed and the same shall be

received in special survey and settlement camp office.

Place:-**Date:-****Seal and Digital Signature of the
Camp In-Charge.**

Form-14'A'
[See Sub-rule (4) of Rule-13]
Form of Filing Claims/Objection

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/Objector.-
.....
.....
2. Name, Father's/Husband's name and full address of the opposite party.-
.....
.....
3. Details of disputed lands.-
Revenue Village-.....Thana No-.....LGD Code-.....
Ward No-.....District-.....Municipality Khata-.....
Khesra-..... Area- Name of Building-.....
Property ID-..... Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)-.....
No. of Floor-..... No. of Flat-..... Total
Built up Area-..... Parking/ Garage Area-.....Area of Vacant
and Total Area-.....
4. Summary of Claim/ Objection.-.....
.....
5. Relief Sought for.-
.....

Signature/Thumb impression of the Claimant/Objector.

Form-15 'A'

[See Sub-rule-(5) of Rule-13]

Form of Register of Claims/Objections Filed During Draft Publication of Record of Rights

Revenue Village----- LGD Code----- Thana No.-----

Ward No.----- Municipality----- Anchal----- District-----

Sl. No.	Date of filing of the petition	Name of the Claimant/ Objector with full Address	Name of the opposite party with full Address	Disputed Land							
				Property ID	Name of Building & Floor No.	Khata No.	Plot No.	Area			Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)
								A.	D.	Sq. m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Disputed Land								Date of Disposal	Substance of order with date	Date of Correction according to order
Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 15+16+17)					
					A.	D.	Sq. m			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Seal and Digital Signature of the
Camp In-Charge

Form-16 'A'

[See Sub-rule (5) of Rule-13]

Form of Acknowledgement of Claims/Objections

Sl. No.....Date.....Name of the Claimant/Objector.....

**Signature/seal of the
Receiving Officer/Employee**

Note:- Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/
objector as token of receipt of the Claim/objection petition.

Form-17 'A'

[See Sub-rule-(7) of Rule-13]

Form of Notice to Parties for Hearing of Claims/Objections Filed During Draft

Publication of Record of Rights

Shri/Smt./Miss.....Son/Daughter/Wife of Shri.....Resident of
village.....Post Office.....Thana.....Ward.....Anchal.....
District.....is hereby informed that the hearing with respect to claims/objections filed on-----
----- (date), the details of which are given below, has been fixed on date-----
AM/PM at----- (Place)

Details of Claim/objection

Case No. and Date of filing	Name of the Claimant/Objector alongwith, Father's/ Husband's Name & full Address	Details of Land									
		Name of Revenue village	Thana No.	Ward No.	Property ID	Municipal Khata No.	Municipal Plot No.	Area			Boundary
								A.	D.	Sq. m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

										Summary of claims/ objections
Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/Garage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 17+18+19)			
							A.	D.	Sq. m	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

You are directed to appear in person or through your authorized representative with evidence, if any, in support of your claim/Objection on the date, time and place so fixed.

If you do not appear on the date, time and place fixed for hearing, the case may be disposed of ex-parte on the basis of available records.

Seal and Digital Signature of the Officer
In-Charge of the Camp.

[illegible]

[illegible]

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed over the land and there are more than one owner)													
Name of the Owner	Father's/ Husband's Name	Gender			Caste	Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Property ID	Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area
		Male	Female	Others									
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed over the land and there are more than one owner)										
Parking/ Garrage Area	Area of Vacant Land	Area of the Plot (Column 55+56+57)			Basis of Ownership over the land	Year of Ownership over the land	Mutation No.	encumbrance		Photograph of the entire building
		A.	D.	Sq. m				Particulars	Mutation No.	
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

Seal and Digital Signature of the Camp-
In-Charge.

Form-18 'C'
[See Sub-rule-(5)(A)(i) of Rule-14]
Rate of Rent Settlement, Rent Roll

Revenue Village----- Thana No.-----LGD Code-----

Ward No.----- Municipality----- Anchal----- District-----

Rate of Rent

- (a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sl. No.	Municipal Khata No.	Name of Raiyat	Municipal Plot No.	Area							
				Residential			Rent	Non-Residential			Rent
				A.	D.	Sq. m		A.	D.	Sq.m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Total Area			Total Rent	Remarks Including Possession
A.	D.	Sq.m		
13	14	15	16	17

**Digital Signature of
Special Survey Amin.**

**Digital Signature of
Special Survey A.S.O**

**Digital Signature of
Settlement Officer.**

[illegible]

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed on the land and there are more than one owner)								
Name of the Owner	Father's/ Husband's Name	Caste	Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Property ID	Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.
32	33	34	35	36	37	38	39	40

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed on the land and there are more than one owner)							
Flat No.	Total Built up Area	Parking/ Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 42+43+44)			Rent
				A.	D.	Sq.m	
41	42	43	44	45	46	47	48

**Digital Signature
of Amin.**

**Digital Signature
of the Kanungo.**

**Digital Signature of A.S.O.
in Charge of Camp.**

New Form-20
[See Sub-rule-(1) of Rule-15]
Form for Final Publication of Draft Record of Rights

All land owners/holders or persons having interest in any land of revenue village.....LGD Code.....revenue Thana no....., the details of which are given below, are informed that the draft record of rights with respect to the land of revenue village..... Revenue Thana No..... the description whereof are given below, is being published :-

Revenue Village..... Revenue Thana No..... LGD Code.....

P.S..... Anchal..... District.....

Sl. No. of Khatiyan	Khata No.	Name of Raiyat (in cases shares held by more than one raiyat sharewise name of raiyats), Father's/Husband name, caste and Correspondences Address	Gender			Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Plot No.	ULPIN No.	Area of the Plot		Boundary
			Male	Female	Others				A.	D.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Classification of Land	Cultivable Area under crop				Area of Uncultivable Land	Rent (Excluding cess)	Mutation No.	encumbrance		Remark's (Including Possession/ type of possession)	Geo-referencing map
	Bhadai	Aghani	Rabbi	Others				Particulars	Mutation No.		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

QR Code

Seal & Digital Signature of Settlement
Officer of the District.

Disclaimer

Form-20 'A'**[See Sub-rule-(1) of Rule-15]****Form for Final Publication of Draft Record of Rights**

All land owners/holders or persons having interest in any land of revenue village....., Revenue Thana no....., LGD Code..... the details of which are given below, are informed that the draft record of rights with respect to the land of revenue village..... Thana No..... is hereby published :-

Revenue Village..... Thana No.....LGD Code.....

Ward No..... Municipality..... Anchal.....District.....

Land Details of the Land Holder									
Municipal Khata No.	Name of the Raiyat	Father's/ Husband's Name	Gender			Caste	Correspondence Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Municipal Plot No.
			Male	Female	Others				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Land Details of the Land Holder								
Parcel ID	ULPIN No.	Area of the Municipal Plot			Boundary	Classification of Land (Residential/ Non-Residential)	Rent	Geo-reference map
		A.	D.	Sq.m				
11	12	13	14	15	16	17	18	19

The final record of rights shall remain published till.....(date). You are requested to peruse the final Record of Rights during this Period.

Date.

QR Code

Details of Single Ownership (In cases where a building is constructed over the land)												
Name of the Owner	Father's/Husband's Name	Gender			Caste	Correspondence Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Property ID	Name of Building	Residential/ Non-Residential	Total No. of Floor	Total Built up Area
		Male	Female	Others								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Details of Single Ownership (In cases where a building is constructed over the land)											
Parking/Garage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 32+33+34)			Rent	Basis of Ownership over the land	Year of Owner ship over the land	Mutation No.	encumbrance		Photograph of Property
		A.	D.	Sq.m					Particulars	Mutation No.	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

QR Code

[illegible][illegible]

QR Code

**Seal & Digital Signature of Settlement
Officer of District.**

Disclaimer

Form-21'A'

[See Sub-rule (3) of Rule-15]

**Form for Filing Claims/Objections During/ After the Final Publication
of Record of Rights.**

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/Objector.-
.....
.....
2. Name, Father's/Husband's name and full address of the opposite party.-
.....
.....
3. Details of disputed lands.-
Revenue Village-.....Thana No-.....
LGD Code-.....Ward No-.....
District-..... Municipality Khata-.....
Municipality Khesra-..... Area-..... Name of
Building-..... Property ID-..... Area of land
Proportionate to the flat (Sq. m)-..... No. of
Floor-..... No. of Flat-..... Total Built up
Area-.....
Parking/ Garrage Area-..... Area of Vacant Land-.....
Total Area-.....
4. Summary of Claim/Objection.-.....
.....
5. Relief Sought for.-
.....

**Signature/Thumb impression of
the Claimant/Objector.**

Form-22 'A'

[See Sub-rule-(4) of Rule-15]

Form of Notice to Parties for Hearing of Claims/Objections Filed During/After Final Publication of Draft Record of Rights

Shri/Smt./Miss-----Son/Daughter/Wife of

Shri-----Resident of village-----

Post Office-----Thana-----Ward No.-----

Anchal----- District-----is hereby informed that the hearing

with respect to claims/objections filed on----- (date), the details of

which are given below, has been fixed on date-----AM/PM at-----

----- (Place)

Details of Claim/objection

Case No. and Date of filing	Name of the Claimant/ Objector alongwith, Father's/Husband's Name & full Address	Details of Land									
		Name of Revenue village	Thana No.	Ward No.	Property ID	Municipal Khata No.	Municipal Plot No.	Area			Boundary
								A.	D.	Sq.m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Details of Land										Summary of claims/ objections
Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.	Flat No.	Total Built up Area	Parking/ Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 17+18+19)			
							A.	D.	Sq.m	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Seal and Signature of the Officer

Notified Under Rule 15(2) for disposal of Claims/Objections.

Form-23

[See Sub-rule-(4) 'A' of Rule-15]

Form of Acknowledgement of Claims/Objections

Sl. No.....Date.....Name of the Claimant/ Objector

**Signature/seal of the
Receiving Officer/Employee**

Note:- Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/objector as token of receipt of the Claim/objection petition.

Form-23 'A'

[See Sub-rule-(4)'A' of Rule-15]

Form of Acknowledgement of Claims/ Objections

Sl. No.....Date.....Name of the Claimant/ Objector

Signature/seal of the Receiving Officer/Employee

Note:- Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/objector as token of receipt of the Claim/objection petition.

Form-24

[See Sub-rule (4)'A' of Rule-15]

Form of Register of Claims/Objections Filed During Final Publication of Draft Record of Rights

Revenue Village----- Thana No.-----LGD Code-----

Anchal-----District-----

Sl. No.	Case No. and Date of filing	Name of the Claimant/Objector alongwith, Father's/ Husband's Name & full Address	Name of the respondent Father/Husband name and Full Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Detail fo Disputed Land					
					Anchal	Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Plot No.	Area A. D.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Parcel ID	ULPIN No.	Date of Disposal	Substance of order with date	Date of Correction as per order if required.
12	13	14	15	16

Digital Signature of Authorised Officer.

Form-24 'A'

[See Sub-rule-(4)'A' of Rule-15]

Form of Register of Claims/Objections Filed During Draft Publication of Record of Rights

Revenue Village----- Thana No.-----LGD Code-----

Ward No.----- Municipality----- Anchal-----District-----

Sl. No.	Case No./Date of filing	Name of the claimant/ objector with father's/ husband's name and complete address	Name of the opposite party with full Address	Detail of claim/objection								
				Property ID	Khata No.	Plot No.	Area			Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.
							A.	D.	Sq.m			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Date of Correction according to order							Date of Disposal	Substance of order with date	Date of Correction according to order
Flat No.	Total Built up Area	Parking/ Garrage Area	Area of Vacant Land	Total Area (Column 15+16+17)					
				A.	D.	Sq.m			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Digital Signature of Authorised Officer

Form-25
[See Sub-rule-(8) of Rule-15]
Form of Final Publication of Record of Rights

Revenue Village----- Thana No.-----LGD Code-----

Anchal-----District-----

Sl. No. of the Khatiyān	Khata No.	Name of the Raiyat, (Including name and share of Co-sharers, if any), Father/ Husband Name/ Caste and Residence	Gender			Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Plot No.	Parcel Unique ID	ULPIN No.	Area A. D.	Boundary	Classification of Land
			Male	Female	Others							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Cultivable Area under Crop				Area of Uncultivable Land	Rent excluding cess	Mutation No.	encumbrance		Remarks (Including Possession/ type of possession)	Geo-reference map
Bhadai	Aghani	Rabbi	Others				Particulars	Mutation No.		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

QR Code

Seal and Digital Signature of Settlement
Officer of the District.

Disclaimer

Form-25 'A'
[See Sub-rule-(8) of Rule-15]
Form of Final Publication of Record of Rights

Revenue Village----- Thana No.----- LGD Code-----

Ward No.----- Municipality----- Anchal----- District-----

Land Details of the Land Holder									
Municipal Khata No.	Name of the Raiyat	Father's/ Husband's Name	Gender			Caste	Correspondence Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Municipal Plot No.
			Male	Female	Others				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Land Details of the Land Holder								
Parcel Unique ID	ULPIN No.	Area of the Municipal Plot			Boundary	Classification of Land (Residential/ Non-Residential)	Rent	Geo-reference map
		A.	D.	Sq.m				
11	12	13	14	15	16	17	18	19

QR Code

Disclaimer

[illegible]

Disclaimer

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed on the land and there are more than one owner)												
Name of the Owner	Father's/Husband's Name	Gender			Caste	Address	Raiyat Aadhaar No. and Mobile no.	Property ID	Name of Building	Area of land Proportionate to the flat (Sq. m)	Floor No.	Flat No.
		Male	Female	Others								
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

Details Related to multiple ownership building (In cases where a multi-storey building is constructed on the land and there are more than one owner)										
Total Built up Area	Parking/Garr	Area of Vacant Land	Total Area (Column 56+57+58)			Rent	Mutation No.	encumbrance		Photograph of the entire building
			A.	D.	Sq.m			Particulars	Mutation No.	
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66

QR Code

Seal and Digital Signature of Settlement
Officer of the District.

Disclaimer

SEEMA TRIPATHI,
Secretary

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 624-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>